न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 38/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/44

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री हंसमुख लाल शाह पुत्र श्री रतनलाल शाह निवासी वार्ड नं.14 शिल्पी मौहल्ला, तलवाडा, बांसवाडा (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स जतिन किराणा स्टोर, सदर बाजार, तलवाडा, बांसवाडा 2. श्री महिपाल सरगिया पुत्र श्री सूरजमल सरगिया (मालिक) मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राईजेज, कबीर मंदिर के पास, नाथेलाव कोलोनी (बाहुबली) कोलोनी, डॉ. राजेन्द्र दोशी की गली, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 18–07–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 15–06–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 01–10–2022 को 12.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स जतिन किराणा स्टोर, सदर बाजार, तलवाडा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री हंसमुख लाल शाह पुत्र श्री रतनलाल शाह** उपस्थित थे। **विक्रेता** एवं गवाहान् की उपस्थिति में **मैसर्स जतिन किराणा स्टोर, सदर बाजार, तलवाडा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर **बेसन (M4J)** 500 ग्राम वजनी के 30 पैकेट दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु र[illegible] शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फा[illegible] **(M4J)** 04 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा तथ[illegible] विक्रेता को [illegible]र रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तत्[illegible] स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **बेसन (M4J)** 04 पैकेट के 4 नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भाग तैयार किये। प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1201** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/396 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 813 दिनांक 10–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **बेसन (M4J)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1201** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 and Violate food safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, Hence it is declare Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **बेसन (M4J)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19–06–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 18.07.2023 को अप्रार्थीगणो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना करे।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/396 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 813 दिनांक 10–10–2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:04 IST
Reason: SelfAttested

य निर्णयन अधिकारी
प्रति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **बेसन (M4J)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1201** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 and Violate food safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, Hence it is declare Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 and Violate food safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, Hence it is declare Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाये गए **बेसन (M4J)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणो **श्री हंसमुख लाल शाह पुत्र श्री रतनलाल शाह निवासी वार्ड नं.14 शिल्पी मौहल्ला, तलवाडा, बांसवाडा (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स जतिन किराणा स्टोर, सदर बाजार, तलवाडा, बांसवाडा को रूपये 30000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र), श्री महिपाल सरगिया पुत्र श्री सूरजमल सरगिया (मालिक) मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राईजेज, कबीर मंदिर के पास, नाथेलाब कोलोनी (बाहुबली) कोलोनी, डॉ. राजेन्द्र दोशी की गली, बांसवाडा को रूपये 70000/– (अक्षरे रू सत्तर हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:04 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner